राजस्थान राज्य राजमार्ग विस्तार/चौड़ीकरण एवं विकास परियोजना अन्तर्गत

सड़क सुरक्षा जागरुकता शिविर आयोजन

सौजन्य से :–

सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीपीपी प्रभाग, राजस्थान सरकार

द्वारा:

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एजेन्सी

RESEARCH TRAINING AND DEVELOPMENT
CDECS
PUTTING THE LAST FIRST

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (सीडेक्स), जयपुर

भूमिका

राजस्थान राज्य राजमार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण एवं विकास का कार्य परियोजना निदेशक, पीपीपी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें राजमार्ग बनाड़– भोपालगढ़–कुचेरा (संख्या– 63), राजमार्ग भावी – पीपाड़ – खींवसर (संख्या 86 सी) एवं जोधपुर–मारवाड़ जं.–जोजावर (संख्या 61 व 61ए) सड़क विस्तार एवं विकास कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में हर वर्ष सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गवां देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरुक किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन् 2019 में सड़क हादसों/ दुर्घटना में 1,54,732 लोगों की जान गई। रिपोर्ट के अनुसार वाहनों की गति सीमा अधिक होना, मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना, वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाना इत्यादि शामिल हैं।

लक्ष्य

राज्य राजमार्ग के विस्तार एवं चौड़ीकरण पश्चात् राजमार्ग में आने गांव एवं विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारियों को साझा करना एवं जागरुक बनाना।

उद्देश्य

- सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देना।
- सड़क दुर्घटना सें बचाव हेतु जागरुक करना।
- सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में समझाना।
- लोगों को जागरुक कर समुदाय/परिवार को सुरक्षा प्रदान करना।
- ट्रेफिक के नियमों जन समुदाय एवं बच्चों को बताना एवं दुर्घटना की सम्भावित आशंकाओं को समाप्त करना।

सड़क सुरक्षा एक वैचारिक संकल्प ही नहीं है बल्कि यह जीवन को सुरक्षित रखने हेतु समुदाय के साथ पहल है। सड़क हादसों को कम करते हुए सभी आयु वर्ग के लिए **सड़क सुरक्षा** अतिआवश्यक है। सड़क सुरक्षा जागरुकता के तहत राहगीरों, वाहन चलकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए लोगों को ''सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा'' की थीम पर प्रचार प्रसार कार्य किया जा रहा है जिसमें लोगों को जागरुक करना है। सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे मौत होने आदि घटनाओं को कम करने हेतु एक पहल है। सड़क यातायात सुरक्षा एक प्रकार का विधि या उपाय है। यहां पर सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोग जिसमें पैदल चलने वाले, साईकिल, गाड़ी चालक या सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करने वाले शामिल हैं। सड़क यातायात सुरक्षा हेतु सम्भावित घटनाओं को ध्यान में रखकर लोगों में जागरुकता, प्रचार प्रसार हेतु रणनीति बनाई गई है।

संकेत चिन्ह– किसी भी वाहन चालक को सड़क के साईड में लगे संकेत चिन्हों की जानकारी होना आवश्यक है। संकेत चिन्हों की जानकारी के अभाव में भी दुर्घटना होती है। अगर वाहन चालक सड़क साईड पर लगे संकेत चिन्हों की अनुपालना करते हैं तो यह माना जा सकता है कि किसी होने वाली अनहोनी/दुर्घटना से बचा जा सकता है। सड़क के साईड में लगे ट्रेफिक साईन का खास मतलब होता है इसलिए इन संकेत चिन्हों को समझते हुए इनका पालन करना चाहिये अर्थात् यह कह सकते हैं कि किसी भी वाहन चालक के लिए संकेत चिन्हों की जानकारी होना अति आवश्यक है एवं वाहन चालन का आधार भी है।

ओवर टेक करना– हम जल्दी पहुॅचने की चाह में वाहन को तेज गति से चलाते हैं। रास्ते में यह चल रहे अन्य वाहनों को क्रॉस/ओवर टेक करने का भी प्रयास करते हैं जो कि खतरनाक होता है। खासतौर पर बताना चाहते हैं कि मोड पर गाड़ी ओवर टेक करना उचित नहीं होता है। कुछ वाहन चालक इस प्रकार की लापरवाही/गलती करते है जिससे दुर्घटना होने की आशंका अधिक रहती है।

हॉर्न बजाना– आजकल बड़े चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने लगे हैं जो कि उचित नहीं है। कई बार वाहन चालक आगे चलने वाली गाड़ी के बिल्कुल नजदीक/पास में लाकर एकदम हॉर्न बजाते हैं जिससे भी दुर्घटना की सम्भावना बढ़ जाती है। इसमें भी वाहन चालक को सावधानी बरतनी चाहिये।

यू–टर्न – किसी भी वाहन चालक (साईकिल, स्कूटर, मोटर साईकिल या चार पहिया वाहन) को यू–टर्न लेते समय विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर कोई भी वाहन चालक बीच सड़क में यू–टर्न लेता है तो कई गुणा खतरा बढ़ जाता है। यू–टर्न लेने में विशेष सावधानी रखते हुए आने वाहन को सड़क के किनारे पर रोक कर पीछे से आने वाले साधनों को देखते हुए आपने वाहन को घुमाना चाहिये। अगर पीछे की तरफ से वाहन लगातार आ रहे हैं तो सड़क के साफ होने तक इन्तजार करना चाहिये तथा तत्पश्चात् ही वाहन को घुमाना चाहिये।

गति सीमा– सड़क पर वाहन चलाते समय वाहन की गति सीमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग/वाहन चालक छोटी सड़क से बड़ी सड़क अर्थात् राजमार्ग पर आते हैं,

गाड़ी चलाते हैं तो अच्छी सड़क देखकर वाहन तेजी से चलाते हैं। जिला सड़क से राजमार्ग में काफी भिन्नताएँ होती हैं । राजमार्ग पर वाहन चालको हेतु संकेत चिन्ह भी लगाये लगाये होते है लेकिन अधिकांश लोग चिन्हो को अनदेखा कर वाहन चलाते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना की सम्भावना बढ़ जाती है। अतः गति नियन्त्रण (**स्पीड लिमिट**) संकेत (**30** **40** **50**) को ध्यान में रखते हुए ही वाहन चलाना चाहिये। गति नियन्त्रण संकेत बोर्ड प्रायः जनसंख्या घनत्व वाले स्थान/जगह/गांव से पहले ही सूचनार्थ लगाये जाते हैं ताकि होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके।

सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को भी कुछ खास बातें जिनकों ध्यान में रखना चाहिये।

1. सड़क पार करने से पहले दाये एवं बाये तरफ देखकर एवं सड़क खाली होने पर ही सड़क पार करना चाहिये।
2. जल्दबाजी में या दौड़कर कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिये।
3. खड़ी गाड़ियों के बीच से कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिये।
4. जब कहीं भी अंधा मोड या जहॉ से मोड़ पर आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता हो वहॉ पर सावधानी से सड़क पार करना चाहिये। हो सके तो ऐसे स्थान से सड़क पार नहीं करना चाहिये।
5. सड़क पर चलते समय सेलफोन/मोबाईल का उपयोग नहीं करना चाहिये।

वाहन चालकों हेतु विशेष संदेश –

- दो पहिया वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिये।

- चलते वाहन में सेलफोन/मोबाईल का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- किसी भी वाहन चालक को नशा करके वाहन/गाड़ी नहीं चलाना चाहिये।
- गति नियन्त्रण आवश्यक है अतः स्पीड लिमिट नियम को ध्यान में रखते हुए वाहन चलायें।

सड़क सुरक्षा हेतु पर पैदल चलने वाले स्कूली बालक/बालिकाओं हेतु कुछ खास एवं ध्यान देने योग्य बातें– (छोटी सी चूक जीवन पर भारी)

1. ट्रेफिक नियमों की जानकारी होना अर्थात् लाईट सिगनल की जानकारी होना।

	रेड लाईट	लाल लाईट का मतलब है कि सभी वाहनों को रुकना है। ऐसे में बच्चे जेब्रा लाईन का उपयोग करते हुए सड़क पार कर सकते हैं।
	यलो (पीली) लाईट	यह लाईट वाहन चालक को सावधान करते हुए वाहन को धीमा करने का संदेश देती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिये।
	ग्रीन लाईट	यह लाईट जाने/चलने का संदेश देती है अतः ऐसे में बच्चों को कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिये।

2. रुको, देखो एवं सड़क पार करें। (सड़क पार करने में विशेष सावधानी बरतें)
3. जेब्रा लाईन (पेडेस्ट्रियन) का उपयोग–कभी भी सड़क पार करते समय जेब्रा लाईन का उपयोग करना चाहिये।
4. हमेशा सड़क के बाएँ ओर चलना– सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सड़क के बाईं ओर चलना चाहिये।
5. सड़क पर चलने के लिए फुटपाथ/पटरी का उपयोग करना।
6. जल्दबाजी में या दौड़कर कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिये।
7. सड़क पार करते समय हमेशा चौकन्ना रहना चाहिये।
8. सड़क पर चलते समय बच्चों को मजाक/मस्ती/शरारत नहीं करनी चाहिये।
9. अंधा मोड (ब्लाइंड टर्न) अर्थात् जिस मोड़ से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता हो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें एवं वहां से सड़क पार नहीं करें।
10. तेज आ रहे वाहन की ध्वनि को सुने एवं आवाज तेजी से अपनी ओर आ रही है तो ऐसी स्थिति में सड़क पार नहीं करना चाहिये।
11. वाहन के रुकने के बाद चढ़ना एवं उतरने में सावधानी रखनी चाहिये। वाहन से उतरते हुए ध्यान रखें कि हमारा मुँह आगे की ओर होना चाहिये।
12. स्कूल क्रॉसिंग चिन्ह– बच्चों को स्कूल क्रासिंग चिन्न से सड़क पार करना चाहिये। बच्चों को सड़क पार करते समय अपने हाथ से भी इशारा करना चाहिये जिससे कि वाहन चालक को वाहन की गति धीमी करने का संदेश मिल सके।
13. स्कूल क्रॉसिंग चिन्ह– बच्चों को स्कूल क्रासिंग चिन्न से सड़क पार करना चाहिये। बच्चों को सड़क पार करते समय अपने हाथ से भी इशारा करना चाहिये जिससे कि वाहन चालक को वाहन की गति धीमी करने का संदेश मिल सके।

विद्यालय स्तर पर बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर दी गई जानकारी अनुसार उपस्थित प्रभारी

अध्यापक द्वारा बच्चों से पुनः दोहरान प्रक्रिया भी की गई एवं बच्चों को संदेश दिया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर बताये गये नियमों की पालना एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य/प्रभारी द्वारा प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम आयोजन सारणी

क्रम संख्या	कार्यक्रम आयोजन स्थान	आयोजन दिनांक	आयोजन समूह	विवरण
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आसोप	20.11.2021	विद्यालय छात्र/छात्राऍं	
2.	कड़ाई नाड़ी, आसोप	20.11.2021	मनरेगा मजदूर	
3.	धोरु नाड़ी, कुड़ी	22.11.2021	मनरेगा मजदूर	
4.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरपुरा	23.11.2021	विद्यालय छात्र/छात्राऍं	
5.	पालड़ी राणावतान	23.11.2021	मनरेगा मजदूर	
6.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, साथीन	24.11.2021	विद्यालय छात्र/छात्राऍं	
7.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घाणातगरा	24.11.2021	विद्यालय छात्र/छात्राऍं	
8.				

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोप, भोपालगढ़, जोधपुर

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोप, भोपालगढ़, जोधपुर

मनरेगा साईट आसोप, भोपालगढ़, जोधपुर

मनरेगा साईट कुड़ी, भोपालगढ़, जोधपुर

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा, भोपालगढ़, जोधपुर

मनरेगा साईट पालड़ी राणावतान, भोपालगढ़, जोधपुर

राजकीय प्राथमिक विद्यालय इन्द्र कॉलोनी, साथीन, पीपाड़ शहर, जोधपुर

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाणमगरा, बिलाड़ा, जोधपुर